कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

पत्रांकः जी01012/एन0जी0टी0/203/2022 दिनांकः 05 फरवरी, 2024

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या–203/2022 में पारित आदेश दिनांक 04–12–2023 के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, प्रयागराज तथा जिलाधिकारी, प्रयागराज की ओर से प्रस्तरवार उत्तर/रिस्पॉन्स।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या-203/2022 में पारित आदेश दिनांक 04-12-2023 के अनुपालन में मण्डलायुक्त, प्रयागराज तथा जिलाधिकारी, प्रयागराज की ओर से प्रस्तरवार उत्तर/रिस्पान्स आवश्यक कार्यवाही एवं सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या /एस0टी0/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः 1. मण्डलायुक्त, प्रयागराज को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2. श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

कार्यालय मण्डलायुक्त
प्रयागराज

पत्रांक .185/P.A...   दिनांक 05/02/2024

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

कृपया श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता के संलग्न पत्र दिनांक 29.01.2024 का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदन सं0 203/2022 कमलेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य मा0राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त पत्र के माध्यम से इन्स्ट्रक्शन मांगा गया था। पर्याप्त समय व्यतीत जाने के बाद भी अभी तक इन्स्ट्रक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 07.02.2024 नियत है।

अतः श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता के संलग्न पत्र दिनांक 29.01.2024 मय संलग्नकों की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए अपेक्षित इन्स्ट्रक्शन मा0राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत सुनवाई हेतु नियत तिथि 07.02.2024 से पूर्व दाखिल कराना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नकःयथोपरि।

(विजय विश्वास पंत)
मण्डलायुक्त, प्रयागराज।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य/सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
2. श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उ0प्र0, मा0राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

(विजय विश्वास पंत)
मण्डलायुक्त, प्रयागराज।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या–203/2022 में पारित आदेश दिनांक 04–12–2023 के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, प्रयागराज तथा जिलाधिकारी, प्रयागराज की ओर से प्रस्तरवार उत्तर/रिस्पॉन्स।

———

उपरोक्त योजित ओ0ए0 नंबर–203/2022 में पारित आदेश दिनांक 04–12–2023 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड कौशाम्बी, अधिशासी अभियंता, बाघला नहर प्रखण्ड, प्रयागराज, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भारतगंज, सिरसा, (तहसील मेजा) प्रयागराज एवं अधिशासी अभियंता, बेलन नहर प्रखण्ड, प्रयागराज द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आख्या प्राप्त की गयी, जो निम्नवत् है:–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या–203/2022 में पारित आदेश दिनांक 04–12–2023 के क्रम में अवगत कराना है कि किशनपुर पम्प कैनाल जनपद फतेहपुर में अवस्थित है। इसका निर्माण कार्य केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की डिजाइन/गणना के आधार पर की गयी है। किशनपुर पम्प कैनाल का लोकार्पण जून, 1975 (लगभग 49 वर्ष पूर्व) में तत्कालीन मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा किया गया है। जून, 1975 से किशनपुर पम्प कैनाल डिजाइन डिस्चार्ज 420 **cusecs** से संचालित की जा रही है। उक्त वर्षों से किशनपुर पम्प कैनाल के संचालन से कुम्भ मेला एवं माघ मेला में जल उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है तथा भविष्य में भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। वादी का कथन मात्र काल्पनिक है। (संलग्नक–क)
2. पी0पी0जी0सी0एल0 बारा, प्रयागराज द्वारा 96 **cusecs** का अनुबंध वर्ष 2014 से सिंचाई विभाग, प्रयागराज से है वर्तमान समय में पी0पी0जी0सी0एल0, बारा, प्रयागराज द्वारा 60 **cusecs** जल का उपभोग किया जा रहा है, जिससे वर्ष 2014 से अबतक यमुना नदी के जल स्तर पर कोई विपरीत प्रभाव प्रलक्षित नहीं हुआ, विगत वर्षों में माघ मेला तथा कुम्भ मेला के आयोजन में जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं हुई तथा भविष्य में भी ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। । (संलग्नक–ख)
3. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04–12–2023 में उल्लिखित नगर निगम मेजा एवं करछना नगर निगम न होकर तहसील मेजा अन्तर्गत नगर पंचायत भारतगंज तथा नगर पंचायत सिरसा अवस्थित है, जहां पर पेयजल एवं अन्य परियोजना में

गंगा एवं यमुना नदी के पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। करछना क्षेत्र नगर निगम, प्रयागराज की परिधि में है, यहॉ पर भी गंगा अथवा यमुना नदी से जल का प्रयोग नहीं होता है। (संलग्नक–ग–1,2,3)

4. मेजा ऊर्जा निगम प्रा0लि0, प्रयागराज द्वारा गंगा नदी से 44 **cusecs** पानी जिस स्थान से उठाया जाता है वह त्रिवेणी संगम के डाउन स्ट्रीम में लगभग 40 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। मेजा ऊर्जा निगम प्रा0लि0, प्रयागराज द्वारा गंगा नदी से 44 **cusecs** पानी उठाये जाने से माघ मेले एवं कुम्भ मेले में संगम पर पानी के स्तर में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। (संलग्नक–घ)

5. माघ मेला एवं कुम्भ मेला में प्रयागराज में आने वाले तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं को सुगम स्नान कराने के दृष्टिगत अविरल जल प्रवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बॉधों से संरक्षित जल माघ मेला/कुम्भ मेला/महाकुम्भ मेले में गंगा नदी में छोड़ा जाता है तथा मेलापर्यन्त जल प्रवाह का निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है ताकि समुचित मात्रा में जल की उपलब्धता बनी रहे। कुम्भ मेला 2019 में तीर्थयात्रियों के सुगम स्नान हेतु पर्याप्त जल प्रवाह निरन्तर बना रहा था, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा संगम में पवित्र डुबकी लगायी गयी एवं जल भर कर ले जाया गया। वर्तमान माघ मेला, 2024 में भी संगम सहित मेला क्षेत्र में पर्याप्त जल उपलब्ध है। विगत वर्षों में आयोजित माघ मेला एवं कुम्भ मेला में यमुना नदी के जल प्रवाह के कारण श्रद्धालुओं को संगम स्नान में कोई कठिनाई परिलक्षित नहीं हुई तथा भविष्य में भी कोई ऐसी सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः वादी द्वारा यह कथन कि आगामी 20 वर्षों में होने वाले मेले हेतु जल उपलब्ध नहीं रहेगा। मात्र कल्पना पर आधारित है। (संलग्नक–ड.)

उपरोक्तानुसार श्री कमलेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया गया कथन तथ्यों पर आधारित नहीं है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

5/2/24

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज

संलग्नक 'क'

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड कौशाम्बी।

पत्रांकः—212 /सिं0खं0—कौशाम्बी/एन0जी0टी0 दिनांक 05 फरवरी, 2024

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या—230/2022 में पारित आदेश दिनांक 04—12—2023 के सम्बन्ध में आख्या।

———

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

————————

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या—203/2022 में पारित आदेश दिनांक 04—12—2023 के कम में अवगत कराना है कि किशनपुर पम्प कैनाल जनपद फतेहपुर में अवस्थित है। इसका निर्माण कार्य केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की डिजाइन/गणना के आधार पर की गयी है। किशनपुर पम्प कैनाल का लोकार्पण जून, 1975 (लगभग 49 वर्ष पूर्व) में तत्कालीन मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा किया गया है। जून, 1975 से किशनपुर पम्प कैनाल डिजाइन डिस्चार्ज 420 **cusec** से संचालित की जा रही है। उक्त वर्षों से किशनपुर पम्प कैनाल के संचालन से कुम्भ मेला एवं माघ मेला में जल उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है तथा भविष्य में भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। वादी का कथन मात्र काल्पनिक है।

(जगदीश लाल)
अधिशासी अभियंता

पृ0संख्याः—212 /सिं0खं0—कौशाम्बी/एन0जी0टी0तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः—अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जगदीश लाल)
अधिशासी अभियंता

संलग्नक -'ख'

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
बाघला नहर प्रखण्ड,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
प्रयागराज।

पत्रांकः– 290 /बा0न0प्र0प्र0/कोर्टकेस/ दिनांकः–05.02.2024

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन आवेदन सं0 203/2022 कमलेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–कार्यालय मण्डलायुक्त, प्रयागराज महोदय का पत्रांकः 185/पी0ए0, दिनांकः 05.02.2024

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि पी0पी0जी0सी0एल0 बारा, प्रयागराज द्वारा 96 cusecs का अनुबंध वर्ष 2014 से सिंचाई विभाग, प्रयागराज से है वर्तमान समय में पी0पी0जी0सी0एल0, बारा, प्रयागराज द्वारा 60 cusecs जल का उपभोग किया जा रहा है, जिससे वर्ष 2014 से अबतक यमुना नदी के जल स्तर पर कोई विपरीत प्रभाव प्रलक्षित नहीं हुआ, विगत वर्षों में माघ मेला तथा कुम्भ मेला के आयोजन में जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं हुई तथा भविष्य में भी ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

सादर,

भवदीय,
05-02-24
(प्रदीप कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
बाघला नहर प्रखण्ड, प्रयागराज

पत्रांकः– /बा0न0प्र0प्र0/तदिनांकः–

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित हैं।

(प्रदीप कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
बाघला नहर प्रखण्ड, प्रयागराज

संलग्नक -'ग-1'

कार्यालय नगर पंचायत सिरसा-प्रयागराज

पत्रांक- 3266 /न0पं0सिरसा/ 2023-24 दिनांक- 05 फरवरी, 2024

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
प्रयागराज।

विषय:- Origianl Application No. 203/2022 titled as Kamlesh Singh V/S State of UP before the Hon'ble National Green Trabunal, New Delhi

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि गंगा और यमुना नदियों का पानी नगर पंचायत सिरसा, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज में प्रयोग नही किया जाता है।

अतः महोदय सूचना सादर सेवा में प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत सिरसा
प्रयागराज

सैलग्नक-'ग-2'

कार्यालय नगर पंचायत भारतगंज-प्रयागराज

पत्रांक- 1363 /न0पं0भारतगंज/ 2023-24 दिनांक- 05 फरवरी, 2024

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
प्रयागराज।

विषयः- Origianl Application No. 203/2022 titled as Kamlesh Singh V/S State of UP before the Hon'ble National Green Trabunal, New Delhi

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि गंगा और यमुना नदियों का पानी नगर पंचायत भारतगंज, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज में प्रयोग नही किया जाता है।

अतः महोदय सूचना सादर सेवा में प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भारतगंज
प्रयागराज

संलग्नक - (ग-3)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), प्रयागराज
8, महर्षि दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन,
प्रयागराज, 211001

Letter No:	116 / W - 49 / 13	Date:	05.02.2024

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
प्रयागराज।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 203/2022 कमलेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम प्रयागराज के करछना क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु गंगा एवं यमुना नदी का पानी का प्रयोग उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा नहीं किया जाता है।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

05.02.2024

(अमित राज)
अधिशासी अभियन्ता

संलग्नक – 'घ'

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बेलन नहर प्रखण्ड, प्रयागराज

सिंचाई कालोनी, गोविन्दपुर, तेलियरगंज, प्रयागराज, पिन 211004
Email Id- ee.belan.prayagraj@gmail.com

सिंचनेन समृद्धिः भवति

सेवा में,
जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

पत्रांक : 276 /बे0न0प्र0प्रया0/विविध/NGT दिनांक : 05 फरवरी, 2024

विषय : मेजा ऊर्जा निगम प्रा0 लि0 द्वारा गंगा नदी से लिये जा रहे पानी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त, प्रयागराज के पत्रांक 185/पी0ए0/दिनांक 05.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि मेजा ऊर्जा निगम प्रा0 लि0 द्वारा गंगा नदी से 44 क्यूसेक पानी जिस स्थान से उठाया (Intake) जाता है, वो त्रिवेणी संगम के डाउन स्ट्रीम में लगभग 40 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। मेजा ऊर्जा निगम प्रा0 लि0 द्वारा गंगा नदी से 44 क्यूसेक पानी उठाये जाने से माघ मेले एवं कुम्भ मेले में संगम पर पानी के स्तर में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः उक्त के अनुपान में आख्या सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

05/02/24

अधिशासी अभियन्ता
बेलन नहर प्रखण्ड, प्रयागराज

पत्रांक : 276 /बे0न0प्र0प्रया0/विविध/तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
बेलन नहर प्रखण्ड, प्रयागराज

संलग्नक – '50'

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड प्रयागराज।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
प्रयागराज

पत्रांकः– 186 /बाकाखप्र/कोर्ट केस/प्रयागराजः दिनांक 5/2/ ,2024

विषयः–जल प्रवाह की सूचना के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रेषित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल वाद संख्या–203/2022 कमलेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि माघ मेला एवं कुम्भमेला में प्रयागराज में आने वाले तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं को सुगम स्नान कराने के दृष्टिगत अविरल जल प्रवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बॉधों से संरक्षित जल माघ मेला /महाकुम्भ/कुम्भ मेले में गंगा नदी में छोड़ा जाता है तथा मेलापर्यन्त जल प्रवाह का निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है ताकि समुचित मात्रा में जल की उपलब्धता बनी रहे। कुम्भ मेला 2019 में तीर्थयात्रियों के सुगम स्नान हेतु पर्याप्त जल प्रवाह निरन्तर बना रहा था जिसमें करोड़ो श्रद्धालुओं द्वारा संगम में पवित्र डुबकी लगायी गयी एवं जल भर कर ले जाया गया। वर्तमान माघ मेला 2024 में भी संगम सहित मेला क्षेत्र में पर्याप्त जल उपलब्ध है। विगत वर्षो में आयोजित कुम्भ/माघ मेलों में यमुना नदी के जल प्रवाह के कारण श्रद्धालुओं को संगम स्नान में कोई कठिनाई परिलक्षित नही हुई है तथा भविष्य में भी ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

अतः वादी द्वारा आगामी 20 वर्षो में होने वाले मेले हेतु जल उपलब्ध नहीं रहेगा, मात्र कल्पना पर आधारित है।

भवदीय

05.02.24

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड,प्रयागराज

पत्रांकः–– /बाकाखप्र/कोर्ट केस/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2–मेलाधिकारी कुम्भ मेला, प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज।
3– अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,प्रयागराज।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड,प्रयागराज